''बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.''

पंजीयन क्रमांक ''छत्तीसगढ़/दुर्ग/तक. 114-009/2003/20-1-03.''

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 8]   रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 24 फरवरी 2006—फाल्गुन 5, शक 1927

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 6 फरवरी 2006

क्रमांक एफ 9-21/05/1-8.—इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 08-12-2005 द्वारा श्री विनोद गुप्ता, डिप्टी जनरल मैनेजर, बी. एस. एन. एल. रायपुर की सेवाएं, भारतीय दूरसंचार निगम, नई दिल्ली से प्रतिनियुक्ति पर लेते हुए संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग पदस्थ किया गया था, अब श्री गुप्ता को कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग पदस्थ किया जाता है.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2006.

2. इनकी प्रतिनियुक्ति की सेवा शर्तें इस विभाग के समसंख्यक पत्र दिनांक 20-12-2005 के द्वारा अभिमत व आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देशक स्टाफ, संचार व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, दूरसंचार विभाग, नई दिल्ली को भेजी जा चुकी हैं.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. बगाई, मुख्य सचिव.

रायपुर, दिनांक 7 फरवरी, 2006

क्रमांक ई-7/27/2004/1/2.—श्री जवाहर श्रीवास्तव, भा. प्र. से., कलेक्टर, दुर्ग को दिनांक 03-03-2006 से 14-03-2006 तक (12 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 15-03-2006 के शासकीय अवकाश को जोड़ने की अनुमति भी दी जाती है.

2. श्री श्रीवास्तव के अवकाश अवधि में श्री राम सिंह, रा.प्र.से., अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी एवं अपर कलेक्टर, दुर्ग अपने वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ-साथ कलेक्टर, दुर्ग का चालू कार्य सम्पादित करेंगे.

3. अवकाश से लौटने पर श्री श्रीवास्तव, भा.प्र.से., आगामी आदेश तक कलेक्टर, दुर्ग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

4. अवकाश काल में श्री श्रीवास्तव, भा.प्र.से. को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

5. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री श्रीवास्तव, भा.प्र.से. अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. के. बाजपेयी, अवर सचिव.

रायपुर, दिनांक 6 फरवरी, 2006

क्रमांक 128/73/2006/1-8/स्था.—श्री अजय कुमार पाण्डेय, संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को दिनांक 23-1-2006 से 28-1-2006 तक 06 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा दिनांक 21, 22 एवं 29-1-2006 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री पाण्डेय को संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश अवधि में उन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि श्री पाण्डेय अवकाश पर नहीं जाते तो संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. के. मंधानी, विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी.

आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 10 फरवरी 2006

क्रमांक एफ 9-66/32/05.—छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23 सन् 1973) की धारा 23 (क) की उप धारा (2) के अंतर्गत सूचना क्रमांक एफ 9-66/32/2005 दिनांक 29-11-2005 द्वारा ग्राम झगरहा, कोरबा विकास योजना में निम्नानुसार उपांतरण प्रस्तावित किया गया है, जिसकी सूचना दो समाचार पत्रों में प्रकाशित की गई थी.

विकास योजना कोरबा के उपांतरण प्रस्ताव

क्र.	ग्राम का नाम	खसरा क्र.	रकबा	विकास योजना में प्रस्ताव	अधिनियम की धारा 23 'क' के तहत उपांतरण के प्रस्ताव
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	झगरहा	13/2, 13/13, 14/4, 14/23.	5.55 एकड़	आरक्षित वन	औद्योगिक

सूचना में उल्लेखित निश्चित समयावधि के भीतर कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है. अत: राज्य शासन एतद्द्वारा ग्राम झगरहा, कोरबा विकास योजना में उपरोक्त उपांतरण की पुष्टि करता है तथा सूचित करता है कि यह उपांतरण झगरहा (कोरबा) विकास योजना का अंगीकृत भाग होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. एस. बजाज, विशेष सचिव.

संस्कृति विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 8 फरवरी 2006

क्रमांक 116/26/30/सं./2006.—राज्य शासन के पूर्व में जारी आदेश क्रमांक-280/30/सं./2005 दिनांक 07-03-2005 को गिरौदपुरी मेला विकास समिति का गठन किया गया था. समिति में स. क्र. 36 पर श्री एस. के. जायसवाल, अपर कलेक्टर, रायपुर को मेला समिति का सदस्य सचिव नियुक्त किया गया था.

अब श्री एस. के जायसवाल, अपर कलेक्टर, रायपुर के स्थान पर श्री बी. एल. बंजारे, अपर कलेक्टर, बलौदा बाजार, जिला-रायपुर को गिरौदपुरी मेला समिति का सदस्य सचिव नियुक्त किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एल. एल. सूर्यवंशी, विशेष सचिव.

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 10 फरवरी 2006

क्रमांक एफ 8-1/2006/11/6.—इंडियन बायलर्स एक्ट, 1923 की धारा 34 (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा मेसर्स प्रकाश इण्डस्ट्रीज लि., चाम्पा के बायलर क्रमांक सी. जी./42 को निम्नलिखित शर्तों पर उक्त अधिनियम की धारा 6 (सी) के उपबंधों के प्रवर्तन से दिनांक 11/02/2006 से दिनांक 10/08/2006 तक की छूट प्रदान करता है :—

(1) संदर्भाधीन बायलर को पहुंचने वाली किसी भी हानि की सूचना भारतीय बायलर अधिनियम, 1923 की धारा 18 (1) की अपेक्षानुसार तत्काल बायलर निरीक्षक/मुख्य निरीक्षक, वाष्पयंत्र छत्तीसगढ़ को दी जावेगी एवं दुर्घटना होने के दिनांक से छूट की मान्यता समाप्त समझी जावेगी.

(2) उक्त अधिनियम की धारा 12 तथा 13 की अपेक्षानुसार मुख्य निरीक्षक वाष्पयंत्र छत्तीसगढ़ के पूर्वानुमोदन के बिना संदर्भाधीन बायलर में किसी प्रकार का संरचनात्मक परिवर्तन अथवा नवीनीकरण नहीं किया जावेगा.

(3) संदर्भाधीन बायलर का सरसरी दृष्टि से निरीक्षण किये जाने पर यदि वह खतरनाक स्थिति में पाया गया तो यह छूट समाप्त हो जावेगी.

(4) नियतकालिक सफाई और नियमित रूप से गैस निकालने (रेग्युलर ब्लोडाउन) का कार्य किया जावेगा और उसका अभिलेख रखा जावेगा.

(5) छत्तीसगढ़ बायलर निरीक्षण नियम, 1969 के नियम 6 के अपेक्षानुसार संदर्भाधीन बायलर के संबंध में वार्षिक निरीक्षण शुल्क देय होने पर अग्रिम दी जावेगी, एवं

(6) यदि राज्य शासन आवश्यक समझे तो प्रश्नांकित छूट में संशोधन कर सकता है अथवा उसे वापिस ले सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शंकर राव ब्राहम्णे, उप-सचिव.

वित्त तथा योजना विभाग
(वाणिज्यिक कर विभाग)

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 1 फरवरी 2006

क्रमांक एफ-10/11/2005/वाक/पांच (3).—स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1976 (क्रमांक 52 सन् 1976) की धारा 10 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा :—

संशोधन

(1) अधिसूचना क्रमांक ए-3-24-94-विक-पांच (112), दिनांक 6-10-1994 में की अनुसूची में कॉलम (3) में निम्नलिखित निर्बन्धन

तथा शर्तें जोड़ी जाए :—

(5) 31 अक्टूबर, 2004 को या इसके पूर्व वाणिज्यिक उत्पादन आरंभ करता है या 31 अक्टूबर, 2004 को या इसके पूर्व निम्नलिखित प्रभावी कदम उठा चुका हो—

(क) इकाई के पास भूमि का वैध आधिपत्य हो,
(ख) इकाई ने प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अनुसार शेड तथा भवन का निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया हो, तथा
(ग) इकाई ने प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अनुसार प्लांट एवं मशीनरी का निश्चित क्रय आदेश दे दिया हो.

(2) अधिसूचना क्रमांक ए-3-1-95-विक-पांच (47), दिनांक 6-6-1995 में की अनुसूची में कॉलम (3) में निम्नलिखित निर्बन्धन तथा शर्तें जोड़ी जाए :—

(5) 31 अक्टूबर, 2004 को या इसके पूर्व वाणिज्यिक उत्पादन आरंभ करता है या 31 अक्टूबर, 2004 को या इसके पूर्व निम्नलिखित प्रभावी कदम उठा चुका हो—

(क) इकाई के पास भूमि का वैध आधिपत्य हो,
(ख) इकाई ने प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अनुसार शेड तथा भवन का निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया हो, तथा
(ग) इकाई ने प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अनुसार प्लांट एवं मशीनरी का निश्चित क्रय आदेश दे दिया हो.

(3) अधिसूचना क्रमांक ए-3-70-95-विक-पांच (108), दिनांक 4-12-1997 में की अनुसूची में कॉलम (3) में निम्नलिखित निर्बन्धन तथा शर्तें जोड़ी जाए :—

(5) 31 अक्टूबर, 2004 को या इसके पूर्व वाणिज्यिक उत्पादन आरंभ करता है या 31 अक्टूबर, 2004 को या इसके पूर्व निम्नलिखित प्रभावी कदम उठा चुका हो —

(क) इकाई के पास भूमि का वैध आधिपत्य हो,
(ख) इकाई ने प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अनुसार शेड तथा भवन का निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया हो, तथा
(ग) इकाई ने प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अनुसार प्लांट एवं मशीनरी का निश्चित क्रय आदेश दे दिया हो.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, संयुक्त सचिव.

रायपुर, दिनांक 1 फरवरी 2006

क्रमांक एफ-10/11/2005/वाक/पांच (3).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10/11/2005/वाक/पांच (3), दिनांक 1-2-2006 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, संयुक्त सचिव.

Raipur, the 1st February 2006

No. F-10/11/2005/CT/V (3).—In exercise of the powers conferred by section 10 of the Sthaniya Kshetra Me Mal Ke Pravesh Par Kar Adhiniyam, 1976 (No. 52 of 1976) the state government hereby makes the following amendments, namely :—

AMENDMENT

(1) In the schedule to the notification No. A-3-24-94-ST-V (112) dated 6-10-1994, in column (3) the following restrictions and conditions shall be added :—

(5) Commences commercial production on or before 31st October, 2004 or having taken the following effective steps on or before 31st October, 2004 —

(a) The unit has obtained valid possession of the land,
(b) The unit has commenced construction of shed and buildings as per the project report, and
(c) The unit has placed firm orders for purchase of plant and machinery as per the project report.

(2) In the schedule to the notification No. A-3-1-95-ST-V (47) dated 6-6-1995, in column (3) the following restrictions and conditions shall be added :—

(5) Commences commercial production on or before 31st October, 2004 or having taken the following effective steps on or before 31st October, 2004 —

(a) The unit has obtained valid possession of the land,
(b) The unit has commenced construction of shed and buildings as per the project report, and
(c) The unit has placed firm orders for purchase of plant and machinery as per the project report.

(3) In the schedule to the notification No. A-3-70-95-ST-V (108) dated 4-12-1997, in column (3) the following restrictions and conditions shall be added :—

(5) Commences commercial production on or before 31st October, 2004 or having taken the following effective steps on or before 31st October, 2004 —

(a) The unit has obtained valid possession of the land,
(b) The unit has commenced construction of shed and buildings as per the project report, and
(c) The unit has placed firm orders for purchase of plant and machinery as per the project report.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
K. R. MISRA, Joint Secretary.

रायपुर, दिनांक 1 फरवरी 2006

क्रमांक एफ-10/11/2006/वाक/पांच (4).—छत्तीसगढ़ स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1976 (1976 का क्रमांक 52) की धारा 10 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा नीचे दी गई अनुसूची के कालम (1) में निर्दिष्ट वस्तुओं को उक्त अनुसूची के कालम (2) में निर्दिष्ट निर्बन्धन तथा शर्तों के अधीन उक्त अधिनियम के अंतर्गत प्रवेश कर के भुगतान से पूर्णत: छूट प्रदान करता है :—

अनुसूची

वस्तु की श्रेणी (1)	निर्बन्धन तथा शर्तें जिनके अध्यधीन रहते हुए छूट दी गई है (2)
छत्तीसगढ़ स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम 1976 (1976 का क्रमांक 52) की अनुसूची-दो में पेट्रोल तथा डीजल को छोड़कर विनिर्दिष्ट माल.	जब कालम (1) में विनिर्दिष्ट माल का विक्रय पंजीयत व्यवसाई को संलग्न घोषणा-पत्र में इस आशय हेतु किया जाय कि क्रय कियां जाने वाला माल उसकी नई औद्योगिक इकाई या उसकी विद्यमान औद्योगिक इकाई की विस्तारित क्षमता जिसके संबंध में वह अधिसूचना क्रमांक एफ-10/28/2005/वाक/पांच (41) दिनांक 1-9-2005 के अंतर्गत पात्रता प्रमाण-पत्र का धारी है, में निर्माण की प्रक्रिया में उपभोग या उपयोग हेतु हैं.

प्ररूप
घोषणा

(अधिसूचना क्रमांक . . . . .दिनांक . . . . के अधीन)

मैं . . . .(व्यवसायी का नाम) . . . .(स्थान) छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर अधिनियम, 1994 के अधीन पंजीयन प्रमाण-पत्र क्रमांक . . . . .का गृहीता, एतद्द्वारा घोषणा करता हूं कि मैंने नीचे दिए गए विवरण अनुसार माल का क्रय . . . .(विक्रेता का नाम) उक्त अधिनियम के अधीन पंजीयन प्रमाण-पत्र क्रमांक . . . . धारी से किया गया है तथा उक्त माल का निर्माण की प्रक्रिया में उपभोग या उपयोग जिला . . . . .में . . . . स्थान पर . . . . नाम से स्थापित मेरी नई औद्योगिक इकाई में/मेरी वर्तमान औद्योगिक इकाई की विस्तारित क्षमता में किया जाएगा.

2. मैं यह भी घोषणा करता हूं कि :—

*(i) मैं उक्त नई औद्योगिक इकाई/उक्त औद्योगिक इकाई की विस्तारित क्षमता के संबंध में . . . . . .से . . . . . .तक की अवधि के लिये पात्रता प्रमाण-पत्र का धारी हूं.

*(ii) उपभोग या उपयोग हेतु क्रय किया गया माल उक्त अधिनियम के अधीन मेरे पंजीयन प्रमाण-पत्र में विनिर्दिष्ट है, एवं

*(iii) मेरे उपरोक्त वर्णित पंजीयन प्रमाण-पत्र तथा पात्रता प्रमाण-पत्र माल के क्रय दिनांक को प्रभावशील थे.

क्रय किए गए माल का विवरण

*क्रय बिल/इनवाइस/केशमेमो/चालान का विवरण		क्रय किये गये माल का विवरण	मात्रा	मूल्य	
क्रमांक	दिनांक			रु.	पै.
(1)		(2)	(3)	(4)	

कुल मूल्य (अंकों में) रु. . . . .(शब्दों में) रुपये .मात्र.

स्थान :—
दिनांक :—

. . . .
व्यवसायी के हस्ताक्षर
पदनाम

* जो लागू न हो उसे काट दें.

यह अधिसूचना दिनांक 1 नवम्बर, 2004 से प्रभावशील मानी जाएगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, संयुक्त सचिव.

रायपुर, दिनांक 1 फरवरी 2006

क्रमांक एफ-10/11/2006/वाक/पांच (4) —भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10/11/2006/वाक/पांच (4), दिनांक 1-2-2006 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, संयुक्त सचिव.

Raipur, the 1st February 2006

No. F-10/11/2006/CT/V (4).—In exercise of the powers conferred by Section 10 of Chhattisgarh Sthaniya Kshetra Me Mal Ke Pravesh Par Kar Adhiniyam, 1976 (No. 52 of 1976), the State Government hereby exempts in whole the class of goods specified in column (1) of the schedule below, from payment of entry tax under the said Adhiniyam subject to the restrictions and conditions specified in column (2) of the said Schedule :—

SCHEDULE

Class of goods (1)	Restrictions and conditions subject to which exemption is granted (2)
Goods specified in Schedule II excluding diesel and petrol appended to the Chhattisgarh Sthaniya Kshetra Me Mal Ke Pravesh Par Kar Adhiniyam, 1976 (No. 52 of 1976).	When the goods specified in column (1) are sold to a registered dealer against a declaration in the appended form to the effect that the goods being purchased are for consumption are use in the process of manufacture in his new industrial unit or in the expanded capacity of his existing industrial unit in respect of which he holds an eligibility certificate under Notification No. F-10/28/2005/CT/V (41), dated 1-9-2005.

FORM
Declaration

(Under Notification No. ....dated..........................)

I.....................................(Name of the dealer) of.....................................(Place) holding registration certificate No. .... under the Chhattisgarh Vanijyik Kar Adhiniyam, 1994 hereby declare that I have purchased goods particulars of which have been given below from.....................................(Name of the seller) holding registration certificate No. ....under the said Adhiniyam and the said goods shall be consumed are used in the process of manufacture in my new industrial unit/in the expanded capacity of my existing industrial unit under the name..............................located at.................................in..............................district.

2. I further declare that,—

*(i) I hold an eligibility certificate in respect of the said new industrial unit expanded capacity of the said industrial unit for the period from..........................to..........................

*(ii) The goods purchased for consumption or use are specified in my registration certificate under the said Adhiniyam; and

*(iii) My aforesaid registration certificate and eligibility certificate were in force on the date of purchase of goods.

Particulars of goods purchased

*Particulars of purchase bill/ invoice/cash memo/challan No. Date	Description of goods purchased	Quantity	Value Rs. P.
(1)	(2)	(3)	(4)

Total value (in figures) Rs. ....(in words) Rs. ....only.

Place :—
Date :—

....
Signature of the dealer
Status

*Strike out whichever is not applicable.

This notification shall be deemed to have come into force with effect from 1st November, 2004.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
K. R. MISRA, Joint Secretary.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला उत्तर बस्तर कांकेर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

कांकेर, दिनांक 3 फरवरी 2006

क्रमांक/137/भू-अर्जन/2006.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
उत्तर बस्तर कांकेर	उत्तर बस्तर कांकेर	वरदेभाठा	19.24	कार्यपालन अभियंता, गृह निर्माण मंडल, जगदलपुर.	आवास गृह निर्माण.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. के. राजू, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायगढ़, दिनांक 24 जनवरी 2006

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 01/अ-82/2005-06.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	सारंगढ़	जसरा प. ह. नं. 6	1.298	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग (सेतु निर्माण संभाग) बिलासपुर.	तिलईमुड़ा-जसरा मार्ग के कि.मी. 2/2 पर लीलार सेतु पहुंचमार्ग हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, सारंगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 24 जनवरी 2006

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 02/अ-82/2005-06.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	सारंगढ़	अमलीपाली प. ह. नं. 17	0.117	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग (सेतु निर्माण संभाग) बिलासपुर.	सालर-छातादेई- अमलीपाली मार्ग के कि.मी. 5/4 पर मनई सेतु पहुंचमार्ग हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, सारंगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. एस. विश्वकर्मा, कलेक्टर एवं पदेन विशेष सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 20 जनवरी 2006

क्रमांक 5/ अ-82/2005-06.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	बिलासपुर	दोमुहानी	0.24	कार्यपालन अभियंता, खारंग जल संसाधन संभाग, बिलासपुर.	बिलासपुर व्यपवर्तन योजना नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अ.वि.अ. (राजस्व), बिलासपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विकास शील, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

सरगुजा, दिनांक 22 नवम्बर 2005

राजस्व प्रकरण क्रमांक/14/ अ-82/99-2000.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	अंबिकापुर	गेतरा	2.221	महाप्रबंधक, दक्षिण पूर्वी कोयला प्रक्षेत्र, विश्रामपुर.	रेहर गायत्री परियोजना के सड़क निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, अम्बिकापुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 5 जनवरी 2006

रा. प्र. क्र./11/ अ-82/2005-06.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	अंबिकापुर	मोहनपुर	1.405	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, क्रमांक-1, अम्बिकापुर.	मोहनपुर जलाशय योजना के स्पील चेनल एवं बांध लाइन हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, अम्बिकापुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 5 जनवरी 2006

रा. प्र. क्र./12/ अ-82/2005-06.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	अंबिकापुर	बरगंवां	0.428	कार्यपालन अभियंता, बरनई नहर संभाग, अम्बिकापुर.	बरनई परियोजना के बरगंवां माइनर के निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, अम्बिकापुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 5 जनवरी 2006

रा. प्र. क्र./19/ अ-82/2005-06.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	अंबिकापुर	बड़ा दमाली	0.860	कार्यपालन अभियंता, बरनई नहर संभाग, अम्बिकापुर.	बरनई परियोजना के मुख्य नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, अम्बिकापुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 18 जनवरी 2006

रा. प्र. क्र./13/ अ-82/2005-06.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	अंबिकापुर	करेया	8.713	कार्यपालन अभियंता, बरनई नहर संभाग, अम्बिकापुर.	श्याम घुनघुट्टा परियोजना के डूब क्षेत्र हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, अम्बिकापुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 18 जनवरी 2006

रा. प्र. क्र./14/ अ-82/2005-06.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	अंबिकापुर	लिबरा	13.545	कार्यपालन अभियंता, बरनई नहर संभाग, अम्बिकापुर.	श्याम घुनघुट्टा परियोजना के डूबान क्षेत्र हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, अम्बिकापुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 19 जनवरी 2006

रा. प्र. क्र./15/ अ-82/2005-06.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	अंबिकापुर	कुबेरपुर	0.484	कार्यपालन अभियंता, बरनई नहर संभाग, अम्बिकापुर.	श्याम घुनघुट्टा परियोजना के डूब क्षेत्र हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, अम्बिकापुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 20 जनवरी 2006

रा. प्र. क्र./10/ अ-82/2005-06.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	अंबिकापुर	पोड़िपा	12.046	कार्यपालन अभियंता, वरनई नहर संभाग, अम्बिकापुर.	श्याम घुनघुट्टा परियोजना के डूब क्षेत्र हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, अम्बिकापुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 20 जनवरी 2006

रा. प्र. क्र./16/ अ-82/2005-06.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	अंबिकापुर	लवईडीह	1.201	कार्यपालन अभियंता, वरनई नहर संभाग, अम्बिकापुर.	श्याम घुनघुट्टा परियोजना के डूब क्षेत्र हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, अम्बिकापुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 20 जनवरी 2006

रा. प्र. क्र./17/ अ-82/2005-06.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	अंबिकापुर	कलगसा	15.279	कार्यपालन अभियंता, बरनई नहर संभाग, अम्बिकापुर.	श्याम घुनघुट्टा परियोजना के डूब क्षेत्र हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, अम्बिकापुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 20 जनवरी 2006

रा. प्र. क्र./18/ अ-82/2005-06.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	अंबिकापुर	कोटेया	1.911	कार्यपालन अभियंता, बरनई नहर संभाग, अम्बिकापुर.	श्याम घुनघुट्टा परियोजना के बायां तट मुख्य नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, अम्बिकापुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 28 जनवरी 2006

रा. प्र. क्र. /03/अ-82/2002-03.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	अंबिकापुर	दरिमा	1.068	कार्यपालन अभियंता, बरनई नहर संभाग, अम्बिकापुर.	बरनई परियोजना के करेंयां वितरक नहर के बरगई माइनर के निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, अम्बिकापुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 28 जनवरी 2006

रा. प्र. क्र./05/अ-82/2001-02.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	अंबिकापुर	मेण्ड्राखुर्द	1.305	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, क्रमांक-1, अम्बिकापुर.	अर्चना जलाशय योजना के मुख्य नहर के निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, अम्बिकापुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 28 जनवरी 2006

रा. प्र. क्र. 07/अ-82/2001-02.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	अंबिकापुर	सपना	1.202	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, क्रमांक- 1 अम्बिकापुर.	बांकीपुर जलाशय के बायां तट नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, अम्बिकापुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 28 जनवरी 2006

रा. प्र. क्र./10/ अ-82/2002-03.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	अंबिकापुर	अड़ची	0.909	कार्यपालन अभियंता, बरनई नहर संभाग, अम्बिकापुर.	श्याम घुनघुट्टा परियोजना के फुलटैंक लेविल के अतिरिक्त डुबान क्षेत्र हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, अम्बिकापुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 28 जनवरी 2006

रा. प्र. क्र./11/ अ-82/2001-02.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	अंबिकापुर	गोरियापीपर	1.841	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, क्रमांक-1 अम्बिकापुर.	पूटा जलाशय योजना के मुख्य नहर के निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, अम्बिकापुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 28 जनवरी 2006

रा. प्र. क्र./16/ अ-82/2002-03.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	लुण्ड्रा (धौरपुर)	नवडीहा	1.500	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, क्रमांक-1, अम्बिकापुर.	गंगोली उद्वहन परियोजना के नवडीहा माइनर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, अम्बिकापुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 28 जनवरी 2006

रा. प्र. क्रं./18/ अ-82/2001-02.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	अंबिकापुर	कूसू	4.459	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, क्रमांक-1 अम्बिकापुर.	पूटा जलाशय योजना के मुख्य नहर के निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, अम्बिकापुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 28 जनवरी 2006

रा. प्र. क्र./18/ अ-82/2002-03.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	लुण्ड्रा (धौरपुर)	गेरसा	3.551	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, क्रमांक-1, अम्बिकापुर.	गेरसा जलाशय योजना के मुख्य नहर के निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, अम्बिकापुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 28 जनवरी 2006

रा. प्र. क्र./19/ अ-82/2002-03.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	अंबिकापुर	रेवापुर	1.525	कार्यपालन अभियंता, बरनई नहर संभाग, अम्बिकापुर.	श्याम घुनघुट्टा परियोजना के अतिरिक्त डूबान क्षेत्र हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, अम्बिकापुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 28 जनवरी 2006

रा. प्र. क्र./48/ अ-82/1989-90.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	अंबिकापुर	नौगई	0.542	कार्यपालन अभियंता, बरनई नहर संभाग, अम्बिकापुर.	बरनई परियोजना के करिया वितरक नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, अम्बिकापुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 28 जनवरी 2006

रा. प्र. क्र./69/ अ-82/1989-90.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम. 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	अंबिकापुर	ससकालो	0.636	कार्यपालन अभियंता, बरनई नहर संभाग, अम्बिकापुर.	बरनई परियोजना के ससकालो माइनर के निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, अम्बिकापुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोज कुमार पिंगुआ, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 16 दिसम्बर 2005

प्रकरण क्रमांक 34/अ-82/2003-04.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-बिलासपुर
(ख) तहसील-मस्तुरी
(ग) नगर/ग्राम-खम्हरिया
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.77 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
269/1	0.45
270/2	0.32
योग	0.77

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-खम्हरिया बिटकुला मार्ग निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बिलासपुर के न्यायालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 20 जनवरी 2006

प्रकरण क्रमांक 1/अ-82/2005-06.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-बिलासपुर

(ख) तहसील-बिल्हा.

(ग) नगर/ग्राम-पोंड़ी

(घ) लगभग क्षेत्रफल-8.78 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
1/5	0.05
1/6	0.02
1/12	0.60
1/13	0.14
1/14	0.48
1/15	0.58
1/16	0.60
1/17	0.85
1/18	0.62
1/19	0.40
1/20	0.50
1/21	0.52
1/22	0.45
1/23	0.64
1/24	1.25
1/25	0.50
1/26	0.58
योग 17	8.78

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-बिलासपुर व्यपवर्तन योजना नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बिलासपुर के न्यायालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 20 जनवरी 2006

प्रकरण क्रमांक 2/अ-82/2005-06.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-बिलासपुर

(ख) तहसील-बिल्हा

(ग) नगर/ग्राम-बोड़सरा

(घ) लगभग क्षेत्रफल-11.23 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
352	0.25
353	0.92
354	0.45
443/1	0.54
444	1.04
445/2	1.17
450/1	0.11
451	1.46
452/1	0.04
452/2	0.42
456	4.58
466/1	0.25
योग 12	11.23

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-बिलासपुर व्यपवर्तन योजना नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बिलासपुर के न्यायालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विकासशील, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

HIGH COURT OF CHHATTISGARH BILASPUR

Bilaspur, the 10th January 2006

No. 20/Confdl./2006/II-15-66/2001 (Pt. II).—The following Civil Judges Class-II as specified in column No. 2 presently posted at the places specified in column No. 3 of the table below are directed to report in the Judicial Officers, Training Institute (J.O.T.I.) High Court of Chhattisgarh, High Court Campus, Bilaspur on 15-1-2006 in the afternoon and before 5 P.M. for undergoing the Third & Final Part of Institutional Training Programme to be held from 16th January 2006 to 20th January 2006 for 5 days :—

TABLE

Sl. No. (1)	Name of Civil Judge Class-II (2)	Posted as & at (3)
1.	Shri Prafull Sonwani	I Civil Judge Class-II, Dantewara
2.	Ku. Sanghpushpa Bhatpahari	III Civil Judge Class-II, Durg
3.	Shri Sheikh Ashraf	I Civil Judge Class-II, Bilaspur
4.	Shri Liladhar Sarthi	I Civil Judge Class-II, Ambikapur
5.	Shri Alok Kumar	Civil Judge Class-II, Sakti
6.	Ku. Ranju Rautrai	II Civil Judge Class-II, Bilaspur
7.	Shri Omprakash Singh Chouhan	III Civil Judge Class-II, Rajnandgaon
8.	Shri Santosh Kumar Aditya	Civil Judge, Class-II, Kurud
9.	Ku. Sangita Shukla	IV Civil Judge Class-II, Bilaspur
10.	Smt. Leena Agrawal	II Civil Judge Class-II, Raipur
11.	Shri Pankaj Kumar Jain	I Civil Judge Class-II, Raigarh
12.	Shri Pankaj Kumar Sinha	V Civil Judge Class-II, Bilaspur
13.	Shri Harish Kumar Awasthi	Civil Judge Class-II, Kawardha
14.	Ku. Shraddha Shukla	VI Civil Judge Class-II, Bilaspur
15.	Smt. Madhu Tiwari	V Civil Judge Class-II, Raipur
16.	Ku. Garima Arya	VI Civil Judge Class-II, Raipur
17.	Shri Yashwant Kumar Sarthi	I Civil Judge Class-II, Sanjari-Balod
18.	Shri Nratyanjay Singh Patel	Civil Judge Class-II, Patthalgaon

(1)	(2)	(3)
19.	Shri Rajendra Kumar Verma	II Civil Judge Class-II, Jagdalpur
20.	Shri Manoj Kumar Prajapati	IV Civil Judge Class-II, Jagdalpur
21.	Shri Ajit Kumar Rajbhanu	I Civil Judge Class-II, Dhamtari
22.	Ku. Sunita Sahu	VI Civil Judge Class-II, Durg
23.	Shri Yashwant Wasnikar	I Civil Judge Class-II, Mahasamund
24.	Ku. Kirti Dan Xalxo	III Civil Judge Class-II, Ambikapur
25.	Shri Niranjan Lal Chauhan	Civil Judge Class-II, Bhatapara
26.	Smt. Usha Gendle	VIII Civil Judge Class-II, Raipur
27.	Ku. Swarnalata Tirki	II Civil Judge Class-II, Janjgir
28.	Smt. Sunita Toppo	IV Civil Judge Class-II, Ambikapur
29.	Shri Purushottam Singh Markam	Civil Judge Class-II, Korba
30.	Shri Mahesh Kumar Raj	X Civil Judge Class-II, Raipur

The above mentioned Trainee Judges are also directed to observe the dress code prescribed by the High Court during the training and to bring with them the following books :—

(a) Code of Civil Procedure.
(b) Code of Criminal Procedure.
(c) Indian Penal Code.
(d) Rules & Orders-Civil & Criminal.
(e) Arms Act.
(f) C. G. Excise Act.
(g) Legal Services Authority Act, 1987 (with C. G. Rules).

Bilaspur the 18th January 2006

No. 49/Confdl./2006/II-3-1/2006.—The order No. 6/Confdl./2006/II-3-1/2006, dated 7-1-2006 so far as it relates to posting of Smt. Kiran Rathi as III Civil Judge Class-II, Jagdalpur is, hereby, cancelled and Smt. Kiran Rathi is posted as III Civil Judge Class-II, Raigarh.

Bilaspur the 20th January 2006

No. 55/Confdl./2006/II-15-21/2000 (Pt. III).—In the Registry Order No. 577/Confdl./2005/II-15-21/2000 (Pt. III), dated the 22nd September 2005, the entry at S. No. 16, column No. 6 may be read as "II Additional District & Sessions Judge (Fast Track Court)" instead of "Additional District & Sessions Judge (Fast Track Court)".

Bilaspur the 24th January 2006

No. 59/Confdl./2006/II-3-1/2006.—The following candidates as mentioned in column No. (2), appointed on probation as Civil Judges Class-II in the Cadre of Chhattisgarh Lower Judicial Service by the State Government, are posted at and placed in the capacity as shown against their names in column No. (3) of the table below with a direction to join their place of posting positively within 15 days from the date of this Order :—

TABLE

S. No. (1)	Name & address of newly appointed Civil Judge Class II (2)	Posted As & At (3)
1.	Ku. Mamta Bhojwani, C/o Shri Praveen Kumar Shukla, 6-B Nidhivan Colony, Nandgaon, Near Malti, Indore (M. P.)—452 001.	I Additional Judge to the Court of I Civil Judge II, Raigarh.
2.	Shri Vivek Kumar Tiwari, A-10/14-A, Prahalad Ghat (Near Kalyani Devi), Varanasi (U.P.)—221 001.	II Civil Judge Class-II, Ambikapur
3.	Shri Ajay Singh Rajput, Near Nagar Panchayat Office, Mangli Bazar, Tehsil-Pendra-Road, District-Bilaspur (C.G.) 495 117.	III Civil Judge Class-II, Jagdalpur
4.	Ku. Heemanshu Jain, C/o Dr. N. C. Jain, Near Bus Stand, Shajapur (M.P.—465 001.	I Additional Judge to the Court of I Civil Judge Class-II, Raipur.
5.	Shri Anish Dubey, "Shivayan Bhawan" Pratappur Naka, Ambikapur (Surguja) (C.G.)—497 001.	I Additional Judge to the Court of I Civil Judge Class-II, Bilaspur.
6.	Shri Shahabuddin Qureshi, L.I.G. 14, Indrawati Colony, Raja-Talab, Raipur (C.G.)	I Additional Judge to the Court of Civil Judge Class-II, Kawardha.
7.	Shri Shrikant Shriwas, S/o Shri Munnu Lal Shrivas, Gondpara, Ramnagar, Bilaspur (C.G.)—495 001.	V Civil Judge Class-II, Jagdalpur
8.	Shri Vivek Kumar Verma, S/o Shri Rajkumar Verma, 26-Vikas Nagar, 27 Kholi, Bilaspur (C.G.)—495 001.	II Civil Judge Class-II. Dantewara
9.	Shri Vijay Kumar Sahu, S/o Shri Rohit Kumar Sahu, Ward No. 6, Opposite Govt. Hospital, Post & Tehsil-Sakti, District-Janjgir-Champa (C.G.)—495 689.	Civil Judge Class-II, Jashpurnagar
10.	Shri Leeladharsay Yadaw, C/o Shri S. K. Bhoi, Kasturba Nagar, Ward No. 4, Jarha Bhata, Bilaspur (C.G.)—495 001.	V Civil Judge Class-II, Ambikapur

(1)	(2)	(3)
11.	Ku. Pratibha Verma, Naya Sarkanda, Seepat Raod, Opposite Basant Complex, Bilaspur (C.G.—495 001.	I Additional Judge to the Court of I Civil Judge Class-II, Durg.

Bilaspur, the 24th January 2006

No. 63/Confdl./2006/II-2-4/2002.—The following Judicial Officers, as specified in column No. (2), in whose favour a certificate of confirmation was issued in terms of Rule 9 (d) of Chhattisgarh Uchchatar Nyayik Seva (Bharti Tatha Seva Sharten) Niyam, 1994 are hereby, allotted the date of confirmation in Higher Judicial Service as mentioned in column No. (3) of the table below :—

TABLE

S. No. (1)	Name of Judicial Officer (2)	Date of Confirmation (3)
1.	Shri Anil Kumar Shukla	01-08-2004
2.	Shri Dinesh Kumar Tiwari	27-09-2004
3.	Shri Ashok Kumar Panda	02-10-2004
4.	Shri Mahendrapal Singhal	03-10-2004
5.	Shri Mahendra Rathore	01-04-2005
6.	Shri Akhil Kumar Samant Ray	05-05-2005

Bilaspur, the 24th January 2006

No. 65/Confdl./2006/II-3-1/2006.—Ku. Sanghpushpa Bhatpahari, presently working as III Civil Judge Class-II, Durg is, hereby, transferred and posted as Civil Judge Class-II, Khairagarh from the date she assumes charge of her Office.

Bilaspur the 24th January 2006

No. 67/Confdl./2006/II-2-3/2002.—The following Members of Higher Judicial Service holding Junior Administrative Grade Scale, non-fuctional as specified in column No. (2) are hereby granted Selection Grade Scale of Rs. 15100-400-18300 (Revised Pay-Scale of Rs. 18750-400-19150-450-21850-500-22850) from the date mentioned in column No. (3) of the table below :—

TABLE

S. No. (1)	Name of Judicial Officer with present designation (2)	Date of grant of Selection Grade Scale (3)
1.	Smt. Madhuri Katulkar, Judge, Family Court, Bilaspur	31-05-2004 to 30-09-2005 and again from 16-11-2005.
2.	Smt. Anuradha Khare, I Additional Principal Judge, Family Court, Raipur.	05-06-2004 to 30-09-2005 and again from 16-11-2005.

(1)	(2)	(3)
3.	Shri Chotelal Singh Tekam, Judge, Family Court, Raigarh	30-05-2005 to 30-09-2005 and again from 16-11-2005.
4.	Shri Madhav Prasad Sharma, Additional Secretary, Govt. of Chhattisgarh, Law Department, Raipur.	02-06-2005 to 30-09-2005 and again from 16-11-2005.
5.	Shri Prabhat Kumar Shastri, President, District Consumer Disputes Redressal Forum, Durg.	19-11-2005
6.	Shri Rajendra Chandra Singh Samant, President, District Consumer Disputes Redressal Forum, Raipur.	19-11-2005
7.	Shri Anil Kumar Shukla, Registrar, Arbitration Tribunal, Raipur.	05-12-2005

By order of the High Court,
RAM KRISHNA BEHAR, Registrar General.

बिलासपुर, दिनांक 28 नवम्बर 2005

क्रमांक 5711/तीन-10-8/2000-भाग-दो.—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्र. 2 सन् 1974) की धारा 9 की उपधारा (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, एतद्द्वारा अपने अधिसूचना क्रमांक 5402/तीन-10-8/2000 भाग-2, दिनांक 8 नवम्बर 2005 में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त अधिसूचना के उक्त सारणी में अनुक्रमांक 8 तथा उससे संबंधित स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां स्थापित की जावे, अर्थात् :—

सारणी

अनुक्रमांक (1)	सत्र न्यायालय (2)	बैठने का स्थान/स्थानों (3)
8	रायगढ़	1. रायगढ़ 2. सारंगढ़

Bilaspur, the 28th November 2005

No. 5711/III-10-8/2000 (Part-II).—In exercise of the powers conferred by sub-section (6) of Section 9 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (No. 2 of 1974), the High Court Chhattisgarh hereby amends its Notification No. 5402/III-10-8/2000 Pt.-II, dated 8th November 2005 as under, namely :—

AMENDMENT

In the said Notification in the table for Serial No. 8 and further existing entires relating thereto as shown in Column No. (3) the following entries be substituted, namely :—

TABLE

Serial No. (1)	Court of Sessions (2)	Ordinary Place/Places of Sitting (3)
8.	Raigarh	1. Raigarh 2. Sarangarh

बिलासपुर, दिनांक 21 दिसम्बर 2005

क्रमांक 6079/तीन-6-2/2005.—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (अधिनियम संख्यांक 2 सन् 1974) की धारा 260 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़ बिलासपुर निम्नलिखित न्यायिक मैजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी को उक्त धारा 260 में उल्लेखित अपराधों के संक्षेपतः विचारण हेतु विशेषतया सशक्त करता है :—

अनुक्रमांक (1)	न्यायिक मैजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी का नाम (2)	वर्तमान पदस्थापना (3)	सिविल जिला (4)
1.	श्री खिलावन राम रिगरी, न्यायिक मैजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी.	जगदलपुर	बस्तर
2.	श्री राजेन्द्र कुमार वर्मा, न्यायिक मैजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी.	जगदलपुर	बस्तर
3.	श्री मनोज कुमार प्रजापति, न्यायिक मैजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी.	जगदलपुर	बस्तर
4.	श्री दया सिन्धु गणवीर, न्यायिक मैजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी.	कांकेर	बस्तर
5.	श्री पंकज कुमार सिन्हा, न्यायिक मैजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी.	बिलासपुर	बिलासपुर
6.	श्री पंकज कुमार जैन, न्यायिक मैजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी.	रायगढ़	रायगढ़

(1)	(2)	(3)	(4)
7.	श्री त्रत्यंजय सिंह पटेल, न्यायिक मैजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी.	पत्थलगांव (तात्कालीन न्यायिक मैजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रायगढ़)	जशपुर
8.	श्री निरंजन लाल चौहान, न्यायिक मैजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी.	भाटापारा (तात्कालीन न्यायिक मैजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रायगढ़)	रायपुर
9.	श्री संतोष कुमार आदित्य, न्यायिक मैजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी.	कुरूद (तात्कालीन न्यायिक मैजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रायपुर)	रायपुर
10.	श्रीमती लीना अग्रवाल, न्यायिक मैजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी.	रायपुर	रायपुर
11.	श्रीमती मधु तिवारी, न्यायिक मैजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी.	रायपुर	रायपुर
12.	कु. गरिमा आर्य, न्यायिक मैजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी.	रायपुर	रायपुर
13.	श्री हरीश कुमार अवस्थी, न्यायिक मैजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी.	कवर्धा (तात्कालीन न्यायिक मैजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रायपुर)	कवर्धा
14.	श्री यशवंत वासनीकर, न्यायिक मैजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी.	महासमुन्द	रायपुर
15.	श्रीमती उषा गेंदले, न्यायिक मैजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी.	रायपुर	रायपुर
16.	श्री महेश कुमार राज, न्यायिक मैजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी.	रायपुर	रायपुर
17.	श्री अजीत कुमार राजभानू, न्यायिक मैजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी.	धमतरी	रायपुर
18.	श्री ओमप्रकाश सिंह चौहान, न्यायिक मैजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी.	राजनांदगांव	राजनांदगांव

Bilaspur, the 21st December 2005

No. 6079/III-6-2/2005.—In exercise of the powers conferred under clause (c) of sub-section (1) of Section 260 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974), the High Court of Chhattisgarh hereby specially empowers the following Judicial Magistrates First Class to try in a summary way all or any of the offences specified in the said Section :—

S. No. (1)	Name of the Judicial Magistrate First Class (2)	Present place of posting (3)	Civil District (4)
1.	Shri Khilavan Ram Rigri, Judicial Magistrate First Class.	Jagdalpur	Bastar
2.	Shri Rajendra Kumar Verma, Judicial Magistrate, First Class.	Jagdalpur	Bastar.
3.	Shri Manoj Kumar Prajapati, Judicial Magistrate, First Class.	Jagdalpur	Bastar
4.	Shri Daya Sindhu Ganveer, Judicial Magistrate First Class.	Kanker	Bastar
5.	Shri Pankaj Kumar Sinha, Judicial Magistrate First Class.	Bilaspur	Bilaspur
6.	Shri Pankaj Kumar Jain, Judicial Magistrate First Class.	Raigarh	Raigarh
7.	Shri Nratyanjay Singh Patel, Judicial Magistrate First Class.	Patthalgaon (the then Judicial Magistrate First Class Raigarh).	Jashpur
8.	Shri Niranjan Lal Chouhan, Judicial Magistrate First Class.	Bhatapara (the then Judicial Magistrate First Class Raigarh).	Raipur
9.	Shri Santosh Kumar Aditya, Judicial Magistrate First Class.	Kurud (the then Judicial Magistrate First Class Raipur).	Raipur
10.	Smt. Leena Agrawal, Judicial Magistrate First Class.	Raipur	Raipur
11.	Smt. Madhu Tiwari, Judicial Magistrate First Class.	Raipur	Raipur
12.	Ku. Garima Arya, Judicial Magistrate First Class.	Raipur	Raipur

(1)	(2)	(3)	(4)
13.	Shri Harish Kumar Awasthi, Judicial Magistrate First Class.	Kawardha (the then Judicial Magistrate First Class Raipur).	Kawardha
14.	Shri Yashwant Wasnikar, Judicial Magistrate First Class.	Mahasamund	Raipur
15.	Smt. Usha Gendle, Judicial Magistrate First Class.	Raipur	Raipur
16.	Shri Mahesh Kumar Raj, Judicial Magistrate First Class.	Raipur	Raipur
17.	Shri Ajit Kumar Rajbhanu, Judicial Magistrate, First Class.	Dhamtari	Raipur
18.	Shri Omprakash Singh Chouhan Judicial Magistrate First Class.	Rajnandgaon	Rajnandgaon

बिलासपुर, दिनांक 19 जनवरी 2006

क्रमांक 488/तीन-22-6/2000.—छत्तीसगढ़ सिविल कोर्ट्स एक्ट, 1958 (अधिनियम क्रमांक 19 सन् 1958) की धारा 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ एतद्द्वारा निर्देशित करता है कि व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, नारायणपुर अपने घोषित कार्यस्थल नारायणपुर के अतिरिक्त कोण्डागांव में भी जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बस्तर स्थान जगदलपुर द्वारा समय-समय पर अनुमोदित तिथियों में कार्य करेंगे.

उच्च न्यायालय, जबलपुर द्वारा पारित अधिसूचना क्रमांक ए/2862/तीन-10-42/75 (बस्तर-नारायणपुर) दिनांक 21 जुलाई 2000 जहां तक उसका संबंध व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 नारायणपुर की श्रृंखला न्यायालय बस्तर से है को एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है.

Bilaspur, the 19th January 2006

No. 488/III-22-6/2000.—In exercise of the powers conferred by Section 12 of the Chhattisgarh Civil Courts Act, 1958 (Act No. 19 of 1958), the High Court of Chhattisgarh hereby directs that the Civil Judge Class-II, Narayanpur in addition to his place of sitting declared at Narayanpur shall also sit at Kondagaon on such dates as may be approved by the District and Sessions Judge, Bastar at Jagdalpur from time to time.

The Notification No. A/2862/III-10-42/75 (Bastar-Narayanpur) dated 21-7-2000 issued by the High Court of Madhya Pradesh, Jabalpur so far it relates to holding Link Court of Civil Judge Class II, Narayanpur at Bastar is hereby cancelled.

By order of the High Court,
A. R. L. NARAYANA, Additional Registrar.